

सं०: E/CRW/HRT/Re-engagement/JE(P-way)

सर्वसंबंधित
राडिमका/हरनौत।अधिसूचना

विषय : पूर्व मध्य रेल से सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों का पुनर्नियोजन के संबंध में।

- संदर्भ : (1) रेलवे बोर्ड का पत्र सं० : E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1 दिनांक 16.10.2017 एवं 12.12.2017। (RBE No. 150/2017 & RBE No. 193/2017)
- (2) महाप्रबंधक(का०)/हाजीपुर के पत्रांक ई/205(A)/0/ईसीआर/एचजेपी, दिनांक 03.04.18.

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/युनिटो से दिनांक : 31.08.2019 तक या उससे पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत में पुनर्नियोजन हेतु 01 जे.ई. (पी-वे), वेतनमान- 4200/-, मेडिकल कैडोगरी ए-3 के अनुसार केवल उसी कोटि/ट्रेड में जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हैं, से विहित प्रपत्र पर आवेदन/विकल्प आमंत्रित किये जाते हैं। (आरक्षण नियम लागू नहीं होगा) जिसमें नियम एवं शर्तें निम्नवत है :-

1. पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/युनिटो से सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन करने के पात्र हैं।
2. सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत में पुनर्नियोजन हेतु 01 जे.ई. (पी-वे), (वेतनमान- 4200/-, मेडिकल कैडोगरी ए-3) पद रिक्त है।
3. रेल सेवा में पुनर्नियोजन 65 वर्ष की उम्र तक या रेलवे भर्ती बोर्ड से अभ्यर्थियों की नियमित उपलब्धता या अन्य किसी श्रोतों से प्राप्त या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1, दिनांक 16.10.2017 एवं दिनांक 12.12.2017 (RBE No. 150/2017 & RBE No.193/2017) के अनुसार योजना की वैधता दिनांक 01.12.2019 तक या इनमें जो पहले हो।
4. यदि उनके कार्य/आचरण या किसी अन्य कारण से असंतोष जनक पाये जाने पर उनकी पुनर्नियोजन 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी समाप्त करने हेतु प्रशासन स्वतंत्र होगा।
5. इस योजना में वैसे कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/पदच्युत या सेवा से बरखास्त किये गये हों और संरक्षा संबंधित सेवा निवृत्ति योजना (SRSS)/संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना (LARSGESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हों, वैसे कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
6. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1 दिनांक 16.10.2017 एवं दिनांक 12.12.2017 (RBE No. 150/2017 & RBE No. 193/2017) के अंतर्गत पुनर्नियोजन किए गए कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसके/उसकी अंतिम आहरित वेतन (अर्थात् Basic Pay+DA) से पेंशन राशि घटाकर की जाएगी तथा अन्य कोई भत्ता/पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
7. सेवानिवृत्त कर्मचारी पुनर्नियोजन के सभी नियमों एवं शर्तों को पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
8. पुनर्नियोजित सेवा निवृत्त कर्मचारी किसी भी प्रकार के अवकाश (CL, LAP, Sick leave etc) के पात्र नहीं होंगे। किसी भी अनुपस्थिति के लिये उनके मासिक पारितोषिक में से समुचित कटौती की जाएगी।
9. पुनर्नियोजन के लिए आवेदनकर्ता की उपयुक्तता एवं सक्षमता का निर्धारण विधिवत गठित समिति द्वारा की जाएगी और उनके संरक्षा रिकॉर्ड एवं अन्य आवश्यक परिचालनिक आवश्यकताओं पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जायेगा। चयनित कर्मचारियों को यदि आवश्यकता हो तो प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स प्रदान किया जा सकता है।
10. पुनर्नियोजन वांछित पद के लिए निर्धारित चिकित्सीय कोटि के अधीन होगी।
11. चयनित रेल कर्मचारियों की पदस्थापना सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत के अधीन ही सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। चयनित कर्मचारी उनके चयन परिणाम प्रकाशित होने के 10 दिनों के अंदर योगदान करना अनिवार्य होगा। इसमें असफल होने पर उनका चयन निरस्त माना जाएगा।

12. वर्यनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना अपेक्षित होगा ।
13. पुनर्नियोजित कर्मचारी का सामान्य कार्य के घंटे वहीं होंगे जो सामान्य प्रकार से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू हैं ।
14. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विनिर्दिष्ट नियम आप पर लागू होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों-उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी एवं आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे ।
15. आप इस बात का स्मरण रखें कि आपकी पुनर्नियोजन पूर्णतः अस्थायी है ।
16. प्रशासन द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आपको सभी प्रशिक्षण/पुनःचर्चा पाठ्यक्रम में जाना पड़ सकता है ।
17. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रेमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए :-
 - (i) सेवा प्रमाण पत्र
 - (ii) पेंशन पहचान पत्र
 - (iii) पेंशन भुगतान आदेश
 - (iv) अंतिम वेतन पर्ची
 - (v) बैंक पासबुक की छायाप्रति
 - (vi) नवीनतम 02 पासपोर्ट साईज फोटो ।
 - (vii) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छाया प्रति ।
18. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक: 12.09.2019 तक होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।
19. अधिसूचना की प्रति अनुलग्नकों सहित सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत के website पर भी उपलब्ध है ।

उपर्युक्त वर्णित नियम एवं शर्तों के अधीन पुनर्नियोजन के लिए पूर्व मध्य रेल के किसी भी मंडल/युनिटों के इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी अनुलग्नक - 'ए' में दिए गए निर्धारित प्रपत्र पत्र पर अपना आवेदन "एकल खिड़की व्यवस्था" के माध्यम से जमा करेंगे, जिसमें लिफाफा पर सबसे ऊपर में 'पुनर्नियोजन के लिए आवेदित पद' का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित पता पर जमा करेंगे ।

पता :-

मुख्य कारखाना प्रबंधक (कार्मिक)
सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना
कार्मिक विभाग, भूतल
हरनौत, जिला -नालंदा
(बिहार) - 803110
संलग्नक: अनुलग्नक 'A'

(अजय कुमार सिंह)

वरि. कार्मिक अधिकारी

कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक/सडिमका/हरनौत

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर ।
- (2) प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजी./हाजीपुर ।
- (3) मुख्य कारखाना प्रबंधक, सडिमका/हरनौत ।
- (4) मरेप्र (का)/धनबाद, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर एवं मुगलसराय मंडल/पूर्व मध्य रेल ।
- (5) मुख्य कारखाना प्रबंधक (का.) प्लान डिपो/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना, समस्तीपुर ।
- (6) सभी विभागीय अधिकारी, सडिमका/हरनौत ।
- (7) संबंधित वरि. अनुभाग अभियंता/यांत्रिक- कृपया सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत के website पर अपलोड करें ।
- (8) कल्याण निरीक्षक/सडिमका/हरनौत ।
- (9) शाखा सचिव, ईसीआरकेयू/सडिमका/हरनौत, अध्यक्ष/सचिव, ओबीसी, अजा-अजजा एसो. एवं एससी/एसटी एसो. /सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत ।
- (10) सूचना पट्ट, सडिमका/हरनौत ।

कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक/सडिमका/हरनौत

पूर्व मध्य रेल

पूर्व मध्य रेल से सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों के पुनर्नियोजन हेतु आवेदन।
(अधिसूचना सं० : E/CRW/IIRT/Re-engagement/JE (P-way) दिनांक :13.08.2019)

सेवा में,

मुख्य कारखाना प्रबंधक (कार्मिक)
सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना
कार्मिक विभाग, भूतल
हरनौत, जिला -नालंदा
(बिहार) - 803110

मैं पूर्व मध्य रेल के सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है:-

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद :
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट से सेवा निवृत्त हुए :
5. जन्म तिथि :
6. नियुक्ति तिथि :
7. सेवा निवृत्ति की तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता
9. पे बैंड+ग्रेड पे/पे लेवल (सेवा-निवृत्ति के समय):
10. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधि:
11. यदि सामान्य सेवा-निवृत्ति के अलावे सेवा-निवृत्त हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगावें

Self -attested
photograph of
retd. Railway
employee

(Sign across the
photo)

Voluntary Retirement	Compulsory retirement /Dismissal/ Removal	LARSGESS/SRSS	OTHER

12. पत्राचार का पता (पिन नम्बर सहित) :
13. गोबाइल नम्बर :1.
14. अंतिम आहरित मूल वेतन एवं वेतन बैंड :
15. बेसिक पेंशन :
16. सेवा निवृत्ति के समय मेडिकल कोटि:
17. पी.पी.ओ नम्बर
18. संलग्न दस्तावेज
 - (i) सेवा प्रमाण पत्र/पेंशनर पहचान पत्र
 - (ii) पेंशन भुगतान आदेश
 - (iii) अंतिम वेतन पर्ची
 - (iv) बैंक पासबुक की छायाप्रति
 - (v) नवीनतम 02 पासपोर्ट साईज फोटो।
 - (vi) आधार कार्ड की छायाप्रति।
 - (vii) पैन कार्ड की छायाप्रति।

2.

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि अधिसूचना में दिये गये निर्धारित नियमों एवं शर्तों को निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। मैं SRSS/LARSGESS एवं Medical Unfit for all categories से सेवा-निवृत्त नहीं हुए हूँ। 15 दिन की पूर्व सूचना पर, बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण बताये मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

दिनांक:

स्थान:

सेवा निवृत्त कर्मचारी का हस्ताक्षर